UPBJ010059392025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0–1731/2025

सरकार **बनाम** ऋषभ आदि।

मु0अ0सं0–56/2024

धारा–323/34,308/34,
504,506 भा0दं0सं0

थाना–हीमपुर दीपा, जिला बिजनौर।

24.07.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण ऋषव उर्फ ऋषभ, सुनील कुमार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु विवेचना में संकलित/पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 323/34,308/34,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाता है।

दिनॉक–24.07.2025

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP02681

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण ऋषव उर्फ ऋषभ, सुनील कुमार के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323/34,308/34,504,506 भा0दं0सं0 विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की। मुकदमा वादी/साक्षी के समन जारी हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 17.08.2025 को पेश हो।

दिनॉक–24.07.2025

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP02681

UPBJ010059392025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0–1731/2025

सरकार **बनाम** ऋषभ आदि।

मु0अ0सं0–56/2024

धारा–323/34,308/34,

504,506 भा0दं0सं0

थाना–हीमपुर दीपा, जिला बिजनौर।

आरोप

मैं निजेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4, बिजनौर आप अभियुक्तगण **ऋषव उर्फ ऋषभ व सुनील कुमार** को निम्नवत आरोपित करता हूॅ–

1– यह कि दिनांक 02.05.2024 को समय करीब प्रातः 7:00 बजे स्थान जंगल खव्वासपुर निकट, ग्राम फतेहपुर कला, थाना हीमपुर, जिला बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसारण में स्वेच्छापूर्वक एक राय होकर वादी मुकदमा के भाई शुभम को लाठी डन्डों से मारपीट कर साधारण चोटें कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान मे है ।

2–: यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा के भाई शुभम को लाठी डन्डों से मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुंचाई। आपके उक्त कृत्य से यदि वादी मुकदमा के भाई शुभम की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि मे न आने वाले अपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान मे है ।

3– : यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के भाई शुभम को गन्दी–गन्दी गालियां देकर साशय अपमानित किया, कि वह ऐसे प्रकोपन से लोकशान्ति भंग करे। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान मे है ।

4:– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के भाई शुभम को जान से मारने की धमकी देकर भयोपरत किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान मे है ।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक–24.07.2025

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP02681

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक–24.07.2025

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP02681

Digitally signed by NIJENDER KUMAR
Date: 2025.07.24 15:53:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court